इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जुलाई 2016—आषाढ़ 15, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2016

क्र. एफ. ए-3-37-16-1-पांच(35).—यत:, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यदि व्यापारी—

(1) केन्द्र सरकार का विभाग

(2) राज्य सरकार का विभाग

(3) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग)

(4) पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित प्राधिकरण है,

तो आवेदन में दिए गए ब्यौरों की सत्यता का सत्यापन, जहां आवश्यक हो, इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2016

क्र. एफ. ए-3-37-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-37-2016-1-पांच(35), दिनांक 6 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 6th July 2016

No. F A-3-37-16-1-V (35).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Gazette.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said rules in rule 12, after sub-rule (2), following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if the dealer is—

(1) a Department of Central Government

(2) a Department of State Government

(3) a Public Sector Undertaking

(4) a Public Limited Company

(5) an Authority constituted under any law for the time being in force,

the verification of the correctness of the particulars given in the application, wherever necessary, shall be done electronically."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.